

आज दिनांक 21.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अपहता बरामद**

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 177 / 2021 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहता को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। विदित हो कि उक्त अभियोग से संबंधित अपहता को दिनांक 19.03.2021 को अपहत कर लिया गया था जिसे कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.04.2021 को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।  
**बरामद करने वाली पुलिस टीम:-** प्रभारी पुलिस चौकी बघौली उ0नि0 श्री अमित चतुर्वेदी, हे0का0 राणा प्रताप, का0 सोमदत्त साहनी, म0का0 अंजनी गुप्ता।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे06 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

**पीआरवी आफ द डे**

**पीआरवी 1485 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल-** पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत उमकी खुर्द से इवेन्ट संख्या 01464 से कालर ने कालन में दो पक्षों के बीच मार पीट से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 09 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया तथा घटना के सबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को बताया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचायी गयी जिसकी स्थानीय व्यक्ति द्वारा सराहना की गयी।

**पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 कामेश्वर सिंह, आ0 उमेश कुमार गौतम, हो0चा0 राकेश पाण्डेय ।**

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 134 वाहनो से 116100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल  
किया गया**

आज दिनांक 21.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 134 वाहनो से 116100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।